

**:: न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड (राज.) ::**

क्रमांक 320

दिनांक: 17-02-25

**:: संशोधित आदेश ::**

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 08 दिनांक 01.02.2025 में आंशिक परिवर्तन करते हुए दिनांक 22.02.2025 व 23.02.2025 के राजकीय अवकाशों में श्री नरेन्द्र कुमार मीना, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय झालरापाटन तथा दिनांक 28.02.2025 के राजकीय अवकाश में सुश्री मानसी राजपूत, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ की लगाई गई रिमाण्ड ड्यूटी निरस्त करते हुए झालावाड़ न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों के पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड अभिवृद्धि व अन्य आवश्यक प्रकृति के कार्य, जिसमें धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन, मृत्युकालीन कथन, धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मृत्यु समीक्षा करना शामिल है, को दिनांक 22.02.2025 व 23.02.2025 के राजकीय अवकाशों में करने के लिए सुश्री मानसी राजपूत, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ को तथा दिनांक 28.02.2025 के राजकीय अवकाश में ड्यूटी करने के लिए श्री नरेन्द्र कुमार मीना, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय झालरापाटन को अधिकृत किया जाता है। इसके अलावा पूर्व का मूल आदेश यथावत रहेगा।

— Sd —

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
झालावाड।

क्रमांक:

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:-

01. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झालावाड़
02. श्री नरेन्द्र कुमार मीना, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, झालरापाटन।
03. सुश्री मानसी राजपूत, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़।
04. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक झालावाड़ को प्रेषित कर लेख है कि झालावाड़ जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को उक्त आदेश से जरिये वितन्तु संदेश सूचित किया जावे।
05. प्रभारी अधिकारी वायर लैस केन्द्र झालावाड़ को प्रेषित कर लेख है कि झालावाड़ जिले के समस्त थानाधिकारियों को उक्त आदेश से जरिये वितन्तु संदेश सूचित किया जावे।
06. आदेश/संबंधित पत्रावली।
07. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय को झालावाड़ न्याय क्षेत्र की Website- [jhalawar.dcourts.gov.in](http://jhalawar.dcourts.gov.in) पर इस आदेश को अपलोड करने हेतु।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
झालावाड़।